



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275433
CG-DL-E-13082026-275433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]
No. 500]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2026/श्रावण 21, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026/SHRAVAN 21, 1948

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

संदर्भ: अ(43)/प्रशा./इएन/2010/भाग-2.— केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या का. आ.770(अ) द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन करते हुए अन्य बातों के साथ नर्मदा जल स्कीम नामक एक योजना तैयार की गई थी;

और प्राधिकरण के अध्यक्ष के संबंध में लिंग निरपेक्षता के मुद्दे पर 4 सितंबर, 2024 को आयोजित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 95वीं बैठक में चर्चा की गई थी और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष की नाम पद्धति को बदलने पर सहमति हुई थी;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ.770(अ), तारीख 10 सितम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और संशोधन करती है, अर्थात्:-

नर्मदा जल स्कीम में, जहां कहीं भी "अध्यक्ष" शब्द आता है, के स्थान पर "अध्यक्ष/अध्यक्षा" शब्द रखे जाएंगे।

अशोक कुमार ठाकुर, कार्यकारी सदस्य
[विज्ञापन-III/4/असा./269/2026-27]

NARMADA CONTROL AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2026

Ref: A(43)/Admn./EN/2010/Part-2.— Whereas the Central Government had framed the Scheme known as the Narmada Water Scheme, *inter-alia*, constituting the Narmada Control Authority in exercise of the powers conferred by section 6A of the Inter State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereafter referred to as the said Act) *vide* notification number S.O. 770(E) dated the 10th September, 1980;

And whereas, the issue of gender neutrality in respect of the Head of the Authority was discussed in the 95th meeting of the Narmada Control Authority held on 4th September, 2024 and agreed to change the nomenclature of the Head of the Narmada Control Authority;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 6A of the said Act, the Central Government is hereby makes further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 770(E), dated the 10th September, 1980, namely: -

In the Narmada Water Scheme, for the word "Chairman", wherever they occur, the word "Chairperson" shall be substituted.

ASHOK KUMAR THAKUR, Executive Member

[ADVT.-III/4/Exty./269/2026-27]